श्रीमती तैवर बनाम राज सरकार
मु.नं. 113/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	वादग्रस्त भूमि खातासं. नया 137 पुराना 140 खसरा नं. 97, 99 कुल किता 2 कुल रकबा 0.21 हैक्टेयर ग्राम पामाड़ी तह. बांदीकुई जिला दौसा में प्रार्थीया श्रीमती तैवर पत्नी सतीश सिंह रिकॉर्ड खातेदार/काश्तकार अंकित है। जिसका सीमाज्ञान दिनांक 23/06/2025 को हो चुका है। जिसका सीमाज्ञान हेतु प्रा.पत्र न्यायालय में पेश किया है कार्यवाही हेतु। अतः भूमि वादग्रस्त में प्रार्थीया बलवीर, जयनारायण पुत्रान केशुराम का किसी प्रकार का कोई हित-निहित नहीं होना प्रतीत होता है अतः प्रकरण में प्रार्थीया बलवीर, जयनारायण को आवश्यक पक्षकार बनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तथा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र नियम 10(2) जा.दी. खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पत्रावली के अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने के आधार पर प्रार्थीया प्रा.पत्र आदेश 1 नियम 10(2) जा.दी. पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। तामील बहस मूल पत्रावली दिनांक 18/02/2026 को पेश हो। (हस्ताक्षर) **उप खण्ड अधिकारी** बांदीकुई (दौसा)	
पत्रावली में आवेदन द्वारा वांछित आवश्यक की सीमाज्ञान की लोकल रिपोर्ट दि. 23/6/2025 संलग्न है। अतः निम्नानुसार आदेश जारी किया जावे।	18/02/2026 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उप./इस वाकत अर्दलीका पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी उप./इस वाकत अर्दलीका पर मूल प्रार्थनापत्र पर बहस वकील एवं पैरोकार सरकार द्वारा मूल प्रा.पत्र पर बहस की गयी। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः बहस प्रार्थी वकील पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 128 LRAct स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 18/2/26 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

कार्यालय
क्रमांक / राज
तहसीलदार
बांदीकुई।
दिनांक
कि उक
आदेश
संलग्नः

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228487 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :-113/2025
प्रकरण दायर दिनांकः- 05.08.2025
प्रकरण निर्णय दिनांकः-18.02.2026

उनवान

1. ओम कँवर पत्नि सतीश सिंह जाति राजपूत निवासी पामाडी, पोस्ट ऊनबडागांव, तहसील बांदीकुई जिला दौसा, हाल निवासी वार्ड नम्बर 05 रामनगर कॉलोनी बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यु एक्ट
बाबत स्थाई सीमा चिन्ह (पत्थर गढी)

प्रकरण निर्णय दिनांकः-18.02.2026

प्रार्थीया द्वारा विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यु एक्ट बाबत स्थायी सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) इस आशय से पेश किया कि प्रार्थीया की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 139 पुराना 140 खसरा नम्बर 97 रकबा 0.12 हैक्टे, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0. 21 हैक्टेयर वाके ग्राम पामाडी पटवार हल्का ऊनबडागांव तहसील बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान में स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया की खातेदारी कब्जे काश्त की भुमि वर्णित चरण नम्बर 01 प्रार्थना पत्र के भूमि नया 139 पुराना 140 खसरा नम्बर 97 रकबा 0.12 हैक्टे, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.21 हैक्टेयर भूमि से लगते हुए अन्य खातेदारान की खातेदारी की भूमि के पडौसी खातेदारान द्वारा भूमि की बुवाई व जुताई के समय व डौल पाल बांधते समय भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न किया जाता रहा है तथा प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि से अन्य पडौसी खातेदारान की भूमि मिली हुई होने के कारण पडौसी खातेदारान प्रार्थीया की भूमि की सीमाओं को लेकर आये दिन झगडा फसाद कर हैरान परेशान करते है। पडौसी खातेदारान के द्वारा प्रार्थीया की भूमि की सीमाओं को लेकर किये जाने विवाद

को समाप्त करने के लिए प्रार्थीया ने अपनी भूमि की सीमाओं के सीमाज्ञान के लिए प्रार्थना पत्र तहसीलदार बांदीकुई के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 23/06/2025 को तहसीलदार बांदीकुई के आदेश कमांक/भू.अ./2025/3052 दिनांक 17/06/2025 की पालना में प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर नया 139 पुराना 140 खसरा नम्बर 97 रकबा 0.12 हैक्टे, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.21 हैक्टेयर का सीमाज्ञान राजस्व कर्मचारी एंव अधिकारियों द्वारा मौके पर प्रार्थीया व अन्य पडौसी खातेदारान की उपस्थिति में किया गया व मौके पर प्रार्थीया संस्था की भूमि के सीमा चिन्ह कायम किये गये लेकिन पडौसी खातेदारान ने राजस्व कर्मचारियों द्वारा अंकित किये गये सीमा चिन्हों को मौके से हटा दिया तथा लगातार सीमा चिन्हों का उल्लंघन कर रहे है एंव तारबन्दी भी नहीं करने दे रहे है तथा मना करने पर लडाई झगडे पर आमादा हो जाते है ऐसी सूरत में पक्षकारान की आराजीयात की सीमाओं के विवाद के स्थाई समाधान के लिये प्रार्थीया की आराजीयात की पत्थरगढी किया जाना कानूनन न्यायोचित है। ऐसी सूरत में प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि नया 139 पुराना 140 खसरा नम्बर 97 रकबा 0.12 हैक्टे, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.21 हैक्टेयर की राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा सीट अनुसार जरिये अप्रार्थी संख्या 01 मौके पर पत्थरी गढी की जाकर स्थाई चिन्ह स्थापित करवाया जाना न्यायोचित एंव लाजमी है। प्रार्थीया ने अपनी आराजीयात का सीमाज्ञान करवा रखा है जो तहसीलदार बांदीकुई के आदेश की पालना में राजस्व कर्मचारीयों व अधिकारियो ने पक्षकारान की मौजूदगी में सीमाज्ञान मौके पर किया नकल मौका पर्चा सीमाज्ञान संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीया की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि वर्णित चरण नम्बर 01 प्रार्थना पत्र स्थित वाके ग्राम पामाडी पटवार हल्का ऊनबडागांव तहसील बांदीकुई जिला दौसा की सीमाओं को लेकर पडौसी खातेदार अकारण ही विवाद करते रहते है प्रार्थीया द्वारा भूमि का सीमाज्ञान कराये जाने के बावजूद भी पडौसी खातेदार मौके पर विवाद कर रहे है तथा प्रार्थीया को तारबन्दी भी नहीं करने दे रहे है। इस कारण प्रार्थीया को माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी पेश करना लाजमी हुआ है ताकि प्रार्थीया की कृषि भूमि की सीमाओं का स्थाई समाधान हो सके। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से न्यायालय हाजा को प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 01 को आदेशित फरमाया जावे की वह स्वंय मौके पर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि नया 139 पुराना 140 खसरा नम्बर 97 रकबा 0.12 हैक्टे, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.21 हैक्टेयर वाके ग्राम पामाडी पटवार हल्का ऊनबडा गांव तहसील बांदीकुई जिला दौसा की सीमाओं की अतिशिघ्र पत्थर गढी करने बाबत निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस विधिवत की गयी। प्रकरण में दिनांक 18.02.2026 को पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बांदीकुई उपस्थित एवं आदेशिका पर रिपोर्ट पुष्ट की कि मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 23.06.2025 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी के आदेश पारित किया जाना उचित है। प्रकरण में बहस प्रार्थिया वकील एवं पैरोकार सरकार सुनी गयी। प्रार्थिया वकील ने बहस

में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत 2075–78 ग्राम पामाडी खाता सं. नया 139 पुराना 140 खसरा नंबर 97, 99 कुल किता 02 कुल रकबा 0.21 हैक्टे., मौका पर्चा ग्राम पामाडी दिनांकः 23.06.2025 का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत 2075–78 ग्राम पामाडी खाता सं. नया 139 पुराना 140 में प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। मौका पर्चा ग्राम पामाडी दिनांक 23.06.2025 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 97, 99 का सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थीगण को एल. आरएक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः प्रार्थीया वकील एवं पैरोकार सरकार बहस पर मनन करने एवं प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबन्दी, मौका–पर्चा ग्राम पामाडी दिनांकः 23.06.2025 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीया की भूमि खाता संख्या नया 139 पुराना 140 के आराजी खसरा सं. 97, 99 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2100 हैक्टेयर वाके ग्राम पामाडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा की मुताबिक मौका पर्चा ग्राम पामाडी दिनांकः 23.06.2025 के विधिवत पत्थरगढी मय राजस्व टीम भू. अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बाँदीकुई से प्राप्त करें। थानाधिकारी बाँदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

18/2/26

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई